



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62495

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1772/2026

मोहम्मद आदिल

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: मोहम्मद ताज़िम, शहजाद आलम

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, उमा शंकर तिवारी

न्यायालय संख्या - 53

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शहजाद आलम, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री उमा शंकर तिवारी और राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री शहजाद आलम की दलीलें सुनी गईं।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(1) के तहत यह आपराधिक अपील अपील को स्वीकार करने और संपूर्ण कार्यवाही के साथ-साथ विशेष सत्र परीक्षण संख्या 218/2019 (राज्य बनाम मोहम्मद आमिर और अन्य) में दिनांक 10.10.2019 के आक्षेपित संज्ञान/समन आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 60/2018, अंतर्गत धारा 147, 323, 504, 506, 427 आईपीसी और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क, पुलिस स्टेशन सरायमीर, जिला आजमगढ़ से उत्पन्न है और माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम), आजमगढ़ की न्यायालय में लंबित है।

3. इस न्यायालय के समक्ष पक्षकारों ने निवेदन किया है कि उन्होंने इस मामले में समझौता कर लिया है और दोनों पक्षों ने अपने सभी विवाद सुलझा लिए हैं और अब वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। यह भी निवेदन है कि इस न्यायालय के दिनांक 17.2.2026 के आदेश के अनुपालन में, पक्षों द्वारा प्रस्तुत समझौता पत्र का सत्यापन आजमगढ़ के विशेष न्यायाधीश

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(अनुसूचित जनजाति अधिनियम) द्वारा किया जा चुका है। अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि दिनांक 24.3.2026 की सत्यापन रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है, जो अभिलेखों में दर्ज है।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि पक्षों के बीच हुआ समझौता इस मामले के सूचनादाता पर किसी भी प्रकार के दबाव या अनुचित प्रभाव के बिना किया गया है और यह पक्षों की स्वतंत्र इच्छा और सहमति का परिणाम है।

5. अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वर्तमान मामला विशुद्ध रूप से निजी विवाद का है और प्रथम दृष्टया यह भी प्रतीत होता है कि कथित अपराध सूचनादाता की जाति के कारण नहीं किया गया है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत कुछ अपराधों को छोड़कर, अभियुक्त के विरुद्ध मामूली अपराधों का आरोप लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, पक्षों के बीच हुआ समझौता, बिना किसी अनुचित प्रभाव के, सूचनादाता-विपक्षी संख्या 2 की स्वतंत्र इच्छा और सहमति का परिणाम है।

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध से संबंधित मामले में क्या समझौता सत्यापित और स्वीकार किया जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर सर्वोच्च न्यायालय ने रामावतार बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) 13 एससीसी 635 के मामले में दिया गया है।

उक्त निर्णय के पैराग्राफ 17 को नीचे उद्धृत किया गया है:-

"17. दूसरी ओर, यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि विचाराधीन अपराध, यद्यपि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत आता है, मूलतः निजी या दीवानी प्रकृति का है, या जहां कथित अपराध पीड़ित की जाति के कारण नहीं किया गया है, या जहां कानूनी कार्यवाही जारी रखना विधि का दुरुपयोग होगा, तो न्यायालय कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार, जब किसी समझौते/निस्तारण के आधार पर कार्यवाही रद्द करने की प्रार्थना पर विचार किया जाता है, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि यदि विचाराधीन अपराध बिना दंड के रह जाता है, तब भी अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य का उल्लंघन या उसमें कमी नहीं आएगी, तो केवल इस तथ्य से कि अपराध किसी "विशेष कानून" के अंतर्गत आता है, यह न्यायालय या उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा।"

7. उक्त निर्णय के पैराग्राफ 19 में आगे कहा गया है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

"19. हम यह कहना चाहेंगे कि ऐसे मामलों में, न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए और भी अधिक सतर्क रहना चाहिए कि सूचनादाता-पीड़ित ने

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अपनी स्वतंत्र इच्छा से समझौता किया है, न कि किसी दबाव के कारण। यह कम करके नहीं आंका जा सकता कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हमारे देश के कमजोर वर्गों से संबंधित हैं, इसलिए वे जबरदस्ती के कृत्यों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, और इसलिए उन्हें उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यदि न्यायालयों को जबरदस्ती या बल प्रयोग का जरा सा भी संकेत मिलता है, तो आरोपी पक्ष को कोई राहत नहीं दी जा सकती। न्यायालयों को किन कारकों पर विचार करना चाहिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।"

8. गुलाम रसूल खान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2022 (8) ए.डी.जे. 691 के मामले में पूर्ण पीठ के फैसले का अवलोकन करने से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत किसी मामले का निस्तारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14-ए(1) के तहत आपराधिक अपील में किया जा सकता है और इसके लिए धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. उपरोक्त के मद्देनजर, न्यायालय पाता है कि चूंकि पक्षों ने समझौता कर लिया है, जिसकी पुष्टि अवर न्यायालय द्वारा पहले ही की जा चुकी है, इसलिए दिनांक 10.10.2019 के विशेष सत्र परीक्षण संख्या 218/2019 (राज्य बनाम मोहम्मद आमिर और अन्य) से उत्पन्न आपराधिक मामले की संपूर्ण कार्यवाही, जो अपराध संख्या 60/2018, धारा 147, 323, 504, 506, 427 आईपीसी और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क के अंतर्गत, सरायमीर पुलिस स्टेशन, जिला आजमगढ़ से उत्पन्न है और विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम), आजमगढ़ के न्यायालय में लंबित है, को रद्द किया जाता है और दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार वर्तमान आपराधिक अपील को स्वीकार किया जाता है।

25 मार्च 2026

एम. तारिक

(अब्दुल शाहिद, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"